

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 52
गृह मंत्रालय (दमन और दीव)

(₹ करोड़)

| | | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|---|--|--------------------|--------|---------|---------------|--------|---------|-------------------|--------|---------|---------------|--------|----------|
| | | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ |
| कुल | | 1234.37 | 344.97 | 1579.34 | 1364.08 | 311.41 | 1675.49 | 1326.39 | 311.41 | 1637.80 | 1576.00 | 342.48 | 1918.48 |
| वसूलियां | | -806.50 | -1.05 | -807.55 | -902.00 | ... | -902.00 | -902.00 | ... | -902.00 | -1097.00 | ... | -1097.00 |
| प्राप्तियां | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | | 427.87 | 343.92 | 771.79 | 462.08 | 311.41 | 773.49 | 424.39 | 311.41 | 735.80 | 479.00 | 342.48 | 821.48 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| 1. संचालन | | 11.86 | ... | 11.86 | 15.07 | ... | 15.07 | 15.01 | ... | 15.01 | 14.70 | ... | 14.70 |
| 2. अन्य स्थापना | | 205.59 | ... | 205.59 | 245.96 | ... | 245.96 | 244.82 | ... | 244.82 | 251.64 | ... | 251.64 |
| | | -1.68 | ... | -1.68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | 203.91 | ... | 203.91 | 245.96 | ... | 245.96 | 244.82 | ... | 244.82 | 251.64 | ... | 251.64 |
| | | 215.77 | ... | 215.77 | 261.03 | ... | 261.03 | 259.83 | ... | 259.83 | 266.34 | ... | 266.34 |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | | |
| 3. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएँ | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 पुलिस कल्याण | | 0.50 | 1.43 | 1.93 | 0.50 | 3.03 | 3.53 | 0.50 | 3.03 | 3.53 | 0.50 | 2.25 | 2.75 |
| 3.02 एसटी, एसटी, ओवीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण | | 0.52 | ... | 0.52 | 0.58 | ... | 0.58 | 0.58 | ... | 0.58 | 0.58 | ... | 0.58 |
| | | -0.10 | ... | -0.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | 0.42 | ... | 0.42 | 0.58 | ... | 0.58 | 0.58 | ... | 0.58 | 0.58 | ... | 0.58 |
| 3.03 प्राकृतिक आपदाओं से राहत | | 0.35 | ... | 0.35 | 1.05 | ... | 1.05 | 1.05 | ... | 1.05 | 0.81 | ... | 0.81 |
| 3.04 अग्निशमक सेवाओं का उन्नयन | | 0.27 | 1.04 | 1.31 | 0.26 | 3.20 | 3.46 | 0.23 | 3.20 | 3.43 | 0.23 | 3.20 | 3.43 |
| 3.05 कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप | | 3.63 | 9.60 | 13.23 | 1.88 | 6.00 | 7.88 | 1.88 | 6.00 | 7.88 | 1.50 | 3.70 | 5.20 |
| 3.06 विद्युत का पारिषण और वितरण | | 813.67 | 51.56 | 865.23 | 909.00 | 40.51 | 949.51 | 877.78 | 40.51 | 918.29 | 1107.00 | 25.51 | 1132.51 |
| | | -802.55 | ... | -802.55 | -900.00 | ... | -900.00 | -900.00 | ... | -900.00 | -1095.00 | ... | -1095.00 |
| | | 11.12 | 51.56 | 62.68 | 9.00 | 40.51 | 49.51 | -22.22 | 40.51 | 18.29 | 12.00 | 25.51 | 37.51 |
| 3.07 वन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण | | 2.35 | 2.05 | 4.40 | 1.71 | 2.05 | 3.76 | 1.71 | 2.05 | 3.76 | 1.71 | 1.50 | 3.21 |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(₹ करोड़)

| | | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|---------------|-------|--------|--------|
| | | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | |
| 3.08 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | निवल | 2.35 | 2.05 | 4.40 | 1.71 | 2.05 | 3.76 | 1.71 | 2.05 | 3.76 | 1.71 | 1.50 | 3.21 |
| | | | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| | | | -0.91 | ... | -0.91 | -2.00 | ... | -2.00 | -2.00 | ... | -2.00 | -2.00 | ... | -2.00 |
| 3.09 | चिकित्सा और स्वास्थ्य | निवल | 1.09 | ... | 1.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3.10 | शिक्षा | | 5.36 | 6.53 | 11.89 | 7.04 | 7.46 | 14.50 | 7.04 | 7.46 | 14.50 | 6.77 | 27.11 | 33.88 |
| | | | 0.90 | 85.85 | 86.75 | 5.14 | 57.36 | 62.50 | 5.14 | 57.36 | 62.50 | 5.27 | 57.72 | 62.99 |
| 3.11 | औद्योगिक संचर्दन | निवल | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3.12 | श्रम कल्याण | | 0.90 | 85.85 | 86.75 | 5.14 | 57.36 | 62.50 | 5.14 | 57.36 | 62.50 | 5.27 | 57.72 | 62.99 |
| 3.13 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | | 3.00 | ... | 3.00 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 5.00 | 0.10 | 5.10 |
| 3.14 | सड़कों और पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत | | ... | ... | ... | 2.10 | ... | 2.10 | ... | ... | ... | 1.12 | ... | 1.12 |
| 3.15 | पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास | निवल | 0.05 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.92 | 0.06 | 0.45 | 0.51 | 0.06 | 0.45 | 0.51 |
| 3.16 | नागर विमानन | | 3.35 | 69.59 | 72.94 | 2.83 | 69.59 | 72.42 | 2.83 | 69.59 | 72.42 | 2.83 | 77.28 | 80.11 |
| 3.17 | पर्यटन अवसरणना का अनुरक्षण और मरम्मत | | ... | 10.28 | 10.28 | ... | 11.06 | 11.06 | ... | 11.06 | 11.06 | ... | 13.70 | 13.70 |
| 3.18 | लोक निर्माण कार्य | निवल | 2.48 | 10.46 | 12.94 | 8.19 | 1.50 | 9.69 | 8.19 | 1.50 | 9.69 | 8.19 | 10.50 | 18.69 |
| | | | 1.38 | 33.90 | 35.28 | 5.09 | 32.84 | 37.93 | 2.09 | 32.84 | 34.93 | 1.60 | 40.44 | 42.04 |
| 3.19 | जलापूर्ति और स्वच्छता | निवल | ... | -1.05 | -1.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3.20 | सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास | | 1.38 | 32.85 | 34.23 | 5.09 | 32.84 | 37.93 | 2.09 | 32.84 | 34.93 | 1.60 | 40.44 | 42.04 |
| 3.21 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण | | -0.12 | ... | -0.12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3.22 | सामाजिक सुरक्षा | | 7.31 | 13.40 | 20.71 | 6.76 | 16.51 | 23.27 | 6.76 | 16.51 | 23.27 | 7.23 | 25.30 | 32.53 |
| 3.23 | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | निवल | 6.67 | 25.83 | 32.50 | 6.61 | 39.00 | 45.61 | 7.31 | 39.00 | 46.31 | 7.25 | 29.00 | 36.25 |
| जोड़- संघ राज्य क्षेत्र की योजनाएँ | | | 1.23 | 4.95 | 6.18 | 2.69 | 4.50 | 7.19 | 2.14 | 4.50 | 6.64 | 2.69 | 2.80 | 5.49 |
| 4. | केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक | | ... | 1.82 | 1.82 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.20 | ... | 0.20 | 0.20 |
| 5. | जनजातीय क्षेत्र संबंधक | | 0.31 | ... | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | ... | 0.30 |
| 6. | अनुदानग्राही/अन्य निकाय | निवल | -0.83 | ... | -0.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | -0.52 | ... | -0.52 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | ... | 0.30 |
| | | | ... | 13.03 | 13.03 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 3.00 | 3.00 |
| | | | 50.94 | 340.60 | 391.54 | 62.21 | 307.28 | 369.49 | 25.60 | 307.28 | 332.88 | 65.64 | 323.76 | 389.40 |
| | | | 14.43 | ... | 14.43 | 7.78 | ... | 7.78 | 7.78 | ... | 7.78 | 7.43 | 15.00 | 22.43 |
| | | | 23.34 | 0.15 | 23.49 | 24.83 | 0.35 | 25.18 | 24.83 | 0.35 | 25.18 | 27.90 | 0.35 | 28.25 |
| | | | -0.31 | ... | -0.31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | 23.03 | 0.15 | 23.18 | 24.83 | 0.35 | 25.18 | 24.83 | 0.35 | 25.18 | 27.90 | 0.35 | 28.25 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ | राजस्व | पूँजी | जोड़ |
| 6.01 दमन और दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान | 70.30 | ... | 70.30 | 63.70 | ... | 63.70 | 60.82 | ... | 60.82 | 64.96 | ... | 64.96 |
| 6.02 दमन और दीव की नगरपालिका परियदों को अनुदान | 28.81 | ... | 28.81 | 31.04 | ... | 31.04 | 31.04 | ... | 31.04 | 32.36 | ... | 32.36 |
| 6.03 अन्य अनुदानग्राही निकाय | 24.58 | ... | 24.58 | 11.37 | ... | 11.37 | 14.37 | ... | 14.37 | 14.25 | ... | 14.25 |
| जोड़- अनुदानग्राही/अन्य निकाय | 123.69 | ... | 123.69 | 106.11 | ... | 106.11 | 106.23 | ... | 106.23 | 111.57 | ... | 111.57 |
| 7. संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय | 0.01 | 3.17 | 3.18 | 0.12 | 3.78 | 3.90 | 0.12 | 3.78 | 3.90 | 0.12 | 3.37 | 3.49 |
| जोड़-अन्य | 212.10 | 343.92 | 556.02 | 201.05 | 311.41 | 512.46 | 164.56 | 311.41 | 475.97 | 212.66 | 342.48 | 555.14 |
| जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 212.10 | 343.92 | 556.02 | 201.05 | 311.41 | 512.46 | 164.56 | 311.41 | 475.97 | 212.66 | 342.48 | 555.14 |
| कुल जोड़ | 427.87 | 343.92 | 771.79 | 462.08 | 311.41 | 773.49 | 424.39 | 311.41 | 735.80 | 479.00 | 342.48 | 821.48 |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **अन्य स्थापना:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के अन्य विभागों/कार्यालयों का स्थापना प्रावधान शामिल है, अर्थात् न्यायालय, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, कर, कोषागार एवं लेखा, पुलिस, जेल, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांखिकी, खेती-वाड़ी, पशुपालन, डेवरी विकास, मछलीपालन, सहकारिता, भू-राजस्व, ग्रामीण विकास, विद्युत, पर्यावरण एवं वन, वैज्ञानिक अनुसंधान, बायान्प्रभारण एवं भाण्डागारण, सिविल आपूर्ति, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सहित सामान्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवा मामले, कला एवं संस्कृति, उद्योग, श्रम एवं नियोजन, सड़क एवं पुल, पत्तन एवं पत्तन स्तंभ, नागर विमानन, सूचना एवं प्रचार, पर्यटन, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, लोक निर्माण, जलापूर्ति, शहरी विकास आदि शामिल हैं।
- 3.01. **पुलिस कल्याण:** इसमें पुलिस कल्याण निधि तथा पुलिस कार्मिकों के लिए सरकारी आवास हेतु प्रावधान शामिल है।
- 3.02. **एसटी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का कल्याण:** इसमें कुटीर उद्योगों के विकास, अनुमूलित जाति/अनुमूलित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के द्वारा उपलब्ध स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति, अनुमूलित जाति/अनुमूलित जन-जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के द्वारा उपलब्ध को मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप/छात्रवृत्ति, अनुमूलित जाति/अनुमूलित जन-जाति के द्वारा उपलब्ध को निःशुल्क यूनीफार्म, पाठ्य-पुस्तकों आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.03. **प्राकृतिक आपदाओं से राहत:** इसमें प्राकृतिक आपदाओं के आने पर पीड़ित व्यक्तियों को राहत के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.04. **अविशामक सेवाओं का उप्रयन:** इसमें अविशमन सेवाओं के उप्रयन, आग बुझाने के उपकरणों की खरीद आदि के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.05. **कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप:** इसमें खेती-वाड़ी, मुद्रा संरक्षण, पशुपालन, मछलीपालन, सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.06. **विद्युत का पारेषण और वितरण:** इसमें विद्युत के पारेषण और वितरण तथा अन्य अवसंरचना संबंधी योजनाओं और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.07. **वन, बन्यजीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण:** इसमें वन एवं बन्य जीव, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए योजनागत प्रावधान शामिल है।
- 3.08. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली:** इनमें खाद्यान्न भंडारण और भाण्डागारण तथा सिविल आपूर्ति यों के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.09. **चिकित्सा और स्वास्थ्य:** इसमें राष्ट्रीय चेत्क उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोगवाहक जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुछ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मातृ समुद्रि योजना, डिकरी विकास योजना, एचआईवी पांजीटिव/एडस से ग्रसित लोगों को वित्तीय सहायता तथा स्वास्थ्य सुविधाओं/संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.10. **शिक्षा:** इसमें शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/राष्ट्रीय उच्चतर, तकनीकी शिक्षा), विद्यालय /पॉलीटेक्निक भवनों, खेल के मैदान/स्टेडियम आदि के निर्माण और उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.11. **औद्योगिक संबद्धन:** इनमें निवेश संवर्धन योजना और औद्योगिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.12. **श्रम कल्याण:** इसमें श्रमिक कल्याण योजना, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को स्वच्छ भोजन की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.13. **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान:** इसमें आई टी आई के प्रशिक्षणार्थीयों को छात्रवृत्ति तथा आई टी आई के लिए मर्शीन और उपकरणों के प्राप्ति के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.14. **सड़कों और पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत:** इसमें सड़कों के अनुरक्षण और मरम्मत त सहित उनके निर्माण/उन्नयन के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.15. **पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास:** इसमें पत्तनों और लाइटहाउसों के निर्माण और विकास के लिए प्रावधान शामिल है।

- 3.16. **नागर विभानन:** इसमें रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विभानों के संचालन के लिए बीजीएफ (बाइबिलीटी गेप फंडिंग) तथा हवाईअड्डों के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.17. **पर्यटन अवसंरचना का अनुरक्षण और भरमत:** इसमें पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.18. **लोक निर्माण कार्य:** इसमें लोक निर्माण कार्यों, भवन के निर्माण/उन्नयन तथा अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.19. **जलापूर्ति और स्वच्छता:** इसमें जलापूर्ति योजना के उन्न यन/निर्माण तथा उसके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.20. **सामान्य पूल हेतु सरकारी आवास:** इसमें सरकारी रिहायशी भवनों के निर्माण तथा उन्नयन और उनके अनुरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.21. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण:** इसमें ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रावधान शामिल है।
- 3.22. **सामाजिक सुरक्षा:** इसमें संघ राज्य क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेशन तथा उनके चिकित्सा व्यव की प्रतिपूर्ति और एकीकृत बाल संरक्षण योजनाओं आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रावधान शामिल है।
- 3.23. **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा:** इसमें ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोत के संवर्धन के लिए सोलर पैनलों की खरीद तथा सोलर संयन्त्र की स्थापना की योजना के लिए प्रावधान शामिल है।
4. **केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए संघ राज्य क्षेत्र पूरक:** इसमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना, आईसीडीएस-मिड डे भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में संघ राज्य क्षेत्र की सहायता के लिए प्रावधान शामिल है।
5. **जनजातीय क्षेत्र संघटक:** इसमें जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय भवनों, उप-केन्द्रों के निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.01. **दमन और दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अनुदान:** इसमें दमण एवं दीव की जिला पंचायतों और ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.02. **दमन और दीव की नगरपालिका परिषदों को अनुदान:** इसमें दमण एवं दीव की नगरपालिका परिषदों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।
- 6.03. **अन्य अनुदानग्राही निकाय:** इसमें अन्य अनुदानग्राही निकायों को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है, जैसे दमण एवं दीव की ई-गवर्नेंस सोसायटी, रोगी कल्याण समिति, सहायता प्राप्त विद्यालय, दीव में पोलीटिक्सिकों के लिए तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान सोसायटी, इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु तकनीकी और उच्च शिक्षा सोसायटी, खेल परिषद, बाल भवन बोर्ड, पर्यटन कला एवं संस्कृति संवर्धन सोसायटी को अनुदान तथा योजना एवं विकास प्राधिकरण को अनुदान।
7. **संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य व्यय:** इसमें जनगणना और साक्षियकी के लिए उपकरणों, सरकारी मुद्रण प्रेसों के निर्माण, लिफ्ट इंजीनियरिंग स्कीम के प्रचालन और अनुरक्षण, बाड़ नियंत्रण परियोजनाओं और शेर और पूंजी अंशदानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड और सहकारी बैंक आदि के लिए प्रावधान शामिल है।